उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।

परिपत्रांक–सी 60 /लेखा/2017–18 दिनांक 26.10.17

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय–लखनऊ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 के लाभांश का समायोजन।

प्रधान कार्यालय के परि0सं0–सी–129/लेखा/2016–17 दिनांक 31.03.2017 के द्वारा उपर्युक्त वर्षो हेतु घोषित लाभांश को कृषकों के खाते में समयोजन के निर्देश दिये गये है। नाबार्ड द्वारा किये जा रहे वार्षिक निरीक्षण के अन्तर्गत शाखाओं के भ्रमण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय शाखाओं द्वारा लाभांश का समायोजन/ भुगतान नहीं किया गया है । उक्त वर्णित परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे ऋणी कृषकों जिनकी समस्त किश्तें अदा हो गई है एवं ऋण खाता बन्द हो गया है उनके लाभांश का भुगतान नियमानुसार ऋणी कृषकों को कर दिया जाय। प्रधान कार्यालय के निर्देशों का अनुपालन न किया जाना अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। आपके इस कृत्य से बैंक की छवि धूमिल हुई है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–129 दिनांक 31.03.2017 का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपिः– समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने मण्डल की शाखाओं को तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित कर दें।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Path :- Sending Mail → C-61 lekha.docx